जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः जीविवि/प्रशासन/2020/2889 दिनांक : 13.07.2020

// कार्यालयीन आदेश//

जीवाजी विश्वविद्यालय में कोरोना वायरस ने दस्तक दी है और आप सभी को विदित है कि इस संक्रमण से विश्वविद्यालय परिवार का एक सदस्य संक्रमित है। जीवाजी विश्वविद्यालय शिक्षक संघ तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ से प्राप्त पत्र दिनांक 11.07.2020 के संदर्भ में माननीय कुलपति महोदया के आदेशानुसार ऐहतियात के तौर पर निम्न बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करने के निर्देश जारी किये जाते है :-

1. जीवाजी विश्वविद्यालय (प्रशासनिक कार्यालय एवं समस्त अध्ययनशालाऐं) दिनांक 14.07.2020 से 18.07.2020 तक पूर्णतः बन्द रहेगा। उक्त अवधि मे विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी अपने-अपने घर (वर्क फ्रॉम होम) से कार्य करेंगे तथा अपने मोबाइल/दूरभाष पर अनिवार्य रूप से विभागाधिकारी के संपर्क में रहेंगे। अति आवश्यक कार्य होने पर विश्वविद्यालय बुलाया जा सकेगा तथा जिन कर्मचारियों के पास सीएम हेल्पलाइन संबंध प्रकरण लम्बित है वे कार्यालय आकर समय-सीमा में कार्य पूर्ण करें।
2. विश्वविद्यालय के सभी गेट बन्द रहेंगे और किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध रहेगा।
3. विश्वविद्यालय का कोई भी कर्मचारी/शिक्षक/अधिकारी यदि ग्वालियर नगर-निगम सीमा के बाहर जाता है तो वह इसकी अनुमति विश्वविद्यालय प्रशासन से अवश्य ले एवं वापिस ग्वालियर पहुँचकर अपने घर में नियमानुसार क्वारंटाइन रहेगा।
4. आवासीय परिसर में आपके परिवार का कोई सदस्य अथवा कोई अतिथि आपके घर 24 घंटे से अधिक समय के लिए बाहर से आता हैं तब ऐसी स्थिति में वह परिवार नियमानुसार अपने घर में क्वारंटाइन रहेगा।
5. आने वाले 7-10 दिन में आपको अथवा परिवार के किसी सदस्य में कोरोना के कोई लक्षण दिखाई दे तब आप तुरंत विश्वविद्यालय प्रशासन एवं स्वास्थ विभाग को आगे की कार्यवाही के लिए आवश्यक रूप से सूचित करें।
6. विश्वविद्यालय परिसर में दूध वितरित करने वाला, अथवा काम करने वाला सर्वेट/माली को तभी प्रवेश दिया जावे जब वह मास्क लगाये हुये हो। बिना मास्क के परिसर में घूमने अथवा थूकने पर रूपये 500/- का अर्थदण्ड वसूला जावेगा।

उपरोक्त नियमों का पालन कडाई से किया जावे अन्यथा संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

यह व्यवस्था हम सभी जीवाजी विश्वविद्यालय परिवार के हित में की गई है जिससे इस कठिन समय में हम सभी सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपिः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/निर्देशक/समन्वयक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. समस्त अधिकारी/कर्मचारी/शिक्षक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. अध्यक्ष, शिक्षक संघ/गैर शिक्षक संघ/ जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
6. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उपकुलसचिव (प्रशासन)

Scanned with CamScanner